फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमन्द

श्री भरत पण्डिया निवासी सेवन्त्री तहसील गढ़बोर जिला राजसमन्द — अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार गढ़बोर — प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा — अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 89/2025**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 24.11.2025 पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार गढ़बोर से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम ऑनलाईन अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार गढ़बोर से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार गढ़बोर से जरिये पत्र क्रमांक :— सू.अ.अ.—2005/2025/486—487 दिनांक 15.10.2025 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी द्वारा बिन्दु संख्या 1 में चाही गई सूचना के क्रम में ग्राम तनाजाबांसाबमुचुंडावतो का खेड़ा की खसरा संख्या 26/2 होकर जमाबन्दी की खाता संख्या 01 की प्रमाणिता जमाबन्दी नकल व नक्शा उपलब्ध कराया गया। प्रार्थी द्वारा बिन्दु संख्या 2 व 3 में अनुरोधित सूचना रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पूर्व में भी यही सूचना आरटीआई एप्लीकेशन नं.— 244768194775713 द्वारा चाही गई थी जो प्रार्थी द्वारा अंकित पत्ते पर इस कार्यालय के पत्र क्रमांकः भू.अ./सू.अ.अ. /2025/2843 दिनांक 16.092025 से जरिये रजिस्टर्ड डाक नं. RR108148892IN पर भिजवायी गयी थी जो अपूर्ण पत्ता होने से वापस आ गयी थी। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 10.11.2025 को न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पेश कर निवेदन किया कि लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार गढ़बोर द्वारा प्रदत्त सूचनाओ से संतुष्ट नहीं हूँ तथा सूचना दिलवाने हेतु निर्देशित करे। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार गढ़बोर की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया तथा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का अध्ययन किया गया। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि वह किसी भी कार्यालय द्वारा जिस रूप में दस्तावेजो का संधारण किया जाता है उसे उसी ही रूप में उसकी प्रतिलिपि जारी की जा सकती है। यहां पर अपीलान्ट द्वारा जो सूचनाएं चाही गई है वो प्रश्नात्मक है, प्रश्नात्मक सूचनओ का जवाब देना आरटीआई के तहत बाध्यता नहीं होता है। इसके लिए प्रार्थी को जो भी रिकॉर्ड चाहिए वह रिकॉर्ड का अवलोकन कार्यालय में कर सकता है तथा वह दस्तावेजो की सूची अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत कर जिन दस्तावेजो की प्रतिलिपि चाहता है।	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

संबंधित दस्तावेजो का अवलोकन कर वांछित सूचना प्राप्त कर सकता है।

अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील को इसी स्तर पर निर्णित किया जाकर अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वह जिन दस्तावेजो की प्रतिलिपि चाहता है वह कार्यालय दिवस में कार्यालय समय में उपस्थित होकर दस्तावेजो का अवलोकन कर वांछित सूचना नियमानुसार प्राप्त करे।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार गढ़बोर को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद